राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 427/2025

श्यामलाल —**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—**प्रत्यर्थीगण**

आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर श्री कल्याण मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के क्रम संख्या 570 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा श्यामलाल बिजारणिया नर्सिंग ऑफीसर का स्थानान्तरण मेडीकल कॉलेज सीकर से सामान्य चिकित्सालय रतनगढ चूरू सीमा राजपूत के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र भैरू राम है तथा इसी नाम से जाना जाता है। अपीलार्थी के नियुक्ति पत्र (अनुलग्नक–1) में भी अपीलार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र भैरू राम ही अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की अनुपालना में अपने आलौच्य आदेश दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को श्यामलाल बिजारणिया मानते हुए श्री कल्याण मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, सीकर से कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पिता का काफी समय पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका है तथा अपीलार्थी के बच्चे अभी छोटे हैं

एवं वृद्ध माता जी कैंन्सर रोग से पीडित (अनुलग्नक–2) है जिनकी देखभाल भी अपीलार्थी को करनी होती है, इस प्रकार समस्त पारिवारिक जिम्मेदारी का वहन अपीलार्थी को ही करना होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आलौच्य आदेश को पारित करते समय राजस्थान पंचायतीराज (स्थानान्तरण) नियम 2013 के नियम 8(iii) का पालन भी नहीं किया गया है जिसके अनुसार पंचायतीराज विभाग के अधीन कार्यरत कार्मिकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने से पूर्व पंचायतीराज विभाग से सक्षम स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम नहीं है फिर भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, जोकि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है, ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान कार्यरत स्थल से कार्यमुक्त किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–4) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अतः अपील ग्राह्य की जाती है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं आदेश दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–3 एवं 4) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य